

डिक्री बगुमकदमे ईबतदाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 160/2025

मंगल सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी बुगलावाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ -वादी

बनाम्

जसकरण सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी बुगलावाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ 2 कौर सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी
बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 3 चन्द सिंह पुत्र श्री गुरदेव
सिंह जाति नाई निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 4
अगेजकौर पत्नी श्री गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी बुगलावाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ 5 तहसीलदार राजस्व संगरिया -प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88,53 आर.टी.ए.

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते
इस साल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री अनिल चोयल वकील वादी मिन
जाकिन मुदई व श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है एवं घोषित किया जाता है
नं. 16/190 है., प.न. 91/181 मु.न. 34 कि.न. 20/1/127 है. एवं चक
25/1 एएमपी खाता सं. 31/23 प.नं. 90/181 मु.नं. 35 कि.
प.न.100/176 मु.न. 56 कि.न. 10/063 है. एवं प्रतिवादी स. 1 चक 21
एमजेडी खाता सं. 24/16 प.नं. 90/181 मु.नं. 35 कि.नं. 16/063 है.
,25/253 है. एवं चक 25/1 एएमपी खाता सं. 31/23 प.नं. 99/176 मु.नं.
55 कि.नं.7/127 है. प.न. 100/176 मु.न. 56 कि.न. 10/063 है. प्रतिवादी
स. 2 चक 25/1 एएमपी खाता सं. 31/23 प.नं. 99/176 मु.नं.55 कि.
नं. 6/127 है. प.न. 99/178 मु.न. 71 कि.न. 24/253 है.,25/1/126 है
तथा प्रतिवादी स. 3 चक 25/1 एएमपी खाता सं. 31/23 प.नं. 99/176
मु.नं.55 कि.नं. 6/126 है. प.न. 100/176 मु.न. 56 कि.न. 10/127 है.,
प.न.99/178 मु.न. 71 कि.न. 23/253 है. के खातेदार काश्तकार है एवं
उक्त घोषणा अनुसार खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम की जावे।
उक्त खातो से उक्तानुसार गुरदेव सिंह पुत्र घमण्ड सिंह का नाम कलमजन
किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।
नोट:- यदि डिक्रित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो
अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।
निज...~~...~~ निल...~~...~~ मुब्लिक...~~...~~ निल...~~...~~ बाबत...~~...~~ निल...~~...~~ खर्चा मुकदमे के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ...~~...~~ को
अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2025 को
जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया